न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 17/2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–हीरालाल पिता नैना रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थी

बनाम

1–आसुराम पिता कालु सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2–घीसी पत्नी नन्दा सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
3–नन्दा पिता घीसा सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
4–बदामी पत्नी हरीराम सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
5–चम्पा पिता देवा सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
6–मोहनलाल पिता छोगा सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
7–नंदराम पिता छोगा सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
8–सायरी पत्नी रूघनाथ सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियांत ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 407 में अंकित आराजी संख्या 1457 रकबा 1.07 है0, आ.सं. 1458 रकबा 0.06 है0 कुल किता दो कुल रकबा 1.13 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, तथा विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी कि कृषि आराजियात मे दखल अंदाजी करते रहते हैं। प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परंतु विपक्षीगण नही मान रहै है। जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाया आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा पंरतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने

बाबत् दिनांक 20.02.2018 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 15.03.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक से आठ बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 407 में अंकित आराजी संख्या 1457 रकबा 1.07 है0, आ.सं. 1458 रकबा 0.06 है0 कुल किता दो कुल रकबा 1.13 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आंज दिनांक 23.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा